Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

गुलाब सिंह पुत्र चन्द्र सिंह राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगागनर

बनाम

किशना उर्फ किशनसिंह पुत्र गंगासिंह जाति रायसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

किस्म मुकदमा:-शिकायत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 कोलो एक्ट एवं धारा 14 (4) आवंटन नियम प्र0 सं0 -71 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हए
06.07.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। प्रकरण में दिनांक 22.06.2022 को प्रार्थी गुलाब सिंह पुत्र चन्द्र द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता एवं मूल शिकायत प्रार्थनापत्र पर एक साथ बहस सुनने बाबत वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया, जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा सहमति प्रदान की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 किशना उर्फ किशन सिंह के पुत्र भगवान सिंह द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 15.06.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल से प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या किशना उर्फ किशन सिंह का देहान्त दि. 12.05.2022 को हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 किशना उर्फ किशन सिंह के पुत्र भगवान सिंह तथा अन्य जो भी स्वर्गीय किशना उर्फ किशन सिंह के वारिसान है, को हस्तगत प्रकरण में किशना उर्फ किशन सिंह के स्थान पर बतौर अप्रार्थीगण संयोजित करने का आदेश फरमावे। भगवान सिंह पुत्र किशन सिंह के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 27.05.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 कॉलो एक्ट अप्रार्थी संख्या 01 किशना उर्फ किशन सिंह के विरूद्व पेश किया। जबकि अप्राथी संख्या 01 की मृत्यु दिनांक 12.05.22 को हो चुकी है। जो संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र से सावित है। प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र मृतक व्यक्ति के विरूद्व पेश किया गया है, जो ab intio wrong होने से खारिज फरमाया जावे। तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी भी विधि विरूद्व पेश किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दौराने विचारण किसी प्रतिवादी की मृत्यु होने की दशा में प्रस्तुत किया जाता है जबकि हस्तगत शिकायत प्रार्थना पत्र मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 कॉलोनाईजेशन अधिनियम एवं धारा 14 (4) आवंटन नियम खारिज किया जावे। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017 (2) पेज 1463 पेश किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का गहनता से अलवोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अनुसार " provision of order 22, rule 4 cpc would not apply when the party was already dead on the date of filling suit. " हस्तगत प्रकरण प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.05.2022 को पेश किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र में दर्ज अप्रार्थी संख्या 01 किशना उर्फ किशन सिंह की मृत्यु दिनांक 12.05.2022 को हो चुकी है। अतः भगवान सिंह पुत्र किशना सिंह उर्फ किशना सिंह के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होते है। अतः न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017 (2) पेज 1463 व पेज 1466 के अनुसरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.06.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता खारिज किया जाता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण मृतक के खिलाफ पेश किया गया है जो प्रारम्भिकतः ab intio wrong होने से शुन्य की परिभाषा में आता है, जिसे हम निरस्त करना उचित समझते है। अतःशिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 कॉलो एक्ट एवं धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ किशना उर्फ किशनसिंह पुत्र गंगासिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के वारिसान को पक्षकार बनाते हुए नये सिरे से शिकायत पेश करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:39:53 IST
Reason: SelfAttested

F:\form no. 3.doc

Scanned by CamScanner